541/ 1320,000 524 5

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

30/1/19

झारखण्ड JHARKHA

30012019123523804 00

03AA 270055

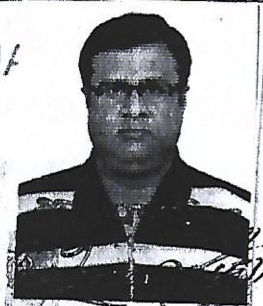

निबंधन अधिनियम 21 तथा छोटानागपुर ... अधिनियम 1903 की धारा 4 ... भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ... मुद्रांक विक्रेता लिपिक, ला०नं०-18/2003 अनुसूची ... क्र सं. ...93... के अधीन मेदिनीनगर, पलामू ... प्रमाणित

निबंधित प्रमाणित

30/1/19

30/1/19

2.50
10.04
3.44

30/1/19

Rajesh Ranjan Dubey दिनांक - 30.01.2019

30.01.2019

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री राजेश रंजन दुबे पिता स्व0 त्रिलोकी नाथ दुबे जाति ब्राहमण साकिन मौजा—कारीहार, पो0— गहर पथरा, थाना पाटन,जिला—पलामू, राज्य झारखण्ड, पेशा—खेती, ~~एवं नौकरी~~ राष्ट्रीयता—भारतीय, आधार नं0— 829359927572 पैन नं0 ANZPD7247A मो0 नं0 9431795166

2. लेख्यधारणी का नाम एवं पुरा पता:–

श्रीमति अर्चना दुबे पती विकास दुबे जाति ब्राहमण, साकिन मौजा–कोकरसा, पो0– लामीपतरा, थाना–पंडवा ,जिला–पलामू, राज्य–झारखण्ड, पेशा–गृहणी,राष्ट्रीयता–भारतीय, आधार नं0 544330560137 पैन नं0 DTXPD3833F मो0 नं0 8969144464

3.लेख्यप्रकार–केवाला बयला कलामी (बिक्रयपत्र)

4. मुल्य:– (क) देय मूल्य – मो0 13,20,000 / रू0
(तेरह लाख बीस हजार) रूपया

(ख) बजार मूल्य–7,15,000 / रू0
(सात लाख पन्द्रह हजार) रूपया

दर आवासीय–178420 रू0 प्रति डी0

5. सम्पति–मवाजी 0–04डी0 (चार डी0) जमीन आवासीय गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण हेतु अन्दर बाँके मौजा निमियाँ ,थाना व अंचल मेदिनीनगर जिला पलामू हकियत खरीदगी बजरीये केवाला नं0 1894 दिनांक 12.05.1999 ई0 द्वारा चन्द्रदेव महतो एवं राजेश्वर महतो से लेख्यकारी के स्वयं नाम से खरीदगी हासिल है। जिसका नामांतरण वाद सं0 759 वर्ष 2000–2001 द्वारा डिमांड कायम है जो रजिस्टर दो के पेज सं0 181 / 5 में दर्ज है। लेख्यकारी पार्ट प्लौट पार्ट होल्डींग बिक्री कर रहे है।उपर्युक्त सम्पति सरकारी भुमि, वनभूमि, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, नदी, तलाब की भूमि भूदान में प्राप्त अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है। यह सम्पति हंस्तांतरण योग्य है। इसके बिक्री होने से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस वसीका दस्तावेज के साथ एक नजरीये नक्शा संलग्न है। जिसमें बिक्री भूमि को लाल रंग से दशार्या गया है। सलंग्न नक्शा इस वसिका दस्तावेज का अभिभाज्य अंग वो अंश है। सब रजिस्टरी वो जिला रजिस्टरी निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू।

Rajesh Ranjan Dubey
30.01.2019

बिक्री भुमि का विवरणः–

थाना नं0	हल्का नं0	मौजा
192	1	निमियाँ

खाता न0	प्लौट न0	रकबा	वर्तमान चौहदी
1 (एक)	57(संतावन)	**04**डी0	उत्तर–प्लौट नं0 56 दक्षिण–12 फिट चौड़ा नीज रोड पूरब– निज बिक्रेता पश्चिम–आज के क्रेता रीना देवी

कुल खाता एक एवं कुल प्लौट एक बिक्री रकबा
04 डी0 बिक्री करते है।

जिसकी लम्बाई उतर से दक्षिण पुरब तरफ 50 फीट

उतर से दक्षिण पश्चिम तरफ 46 फीट

पुरब से पश्चिम दोनों तरफ 36 फीट 4 ईंच

सलाना मालगुजारी– मो0 0.50 पैसा अलावा शेष।

नाम मालिक–झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी महोदय मेदिनीनगर, जिला पलामू।

विदित हो कि लेख्यकारी को यह सम्पति बजरिये खरीदगी हक हासिल है जिसपर लेख्यकारी बराबर से कायम वो काबिज है। जिसपर लेख्यकारी बराबर दखल कब्जा में चले आ रहे है। उपर्युक्त सम्पति लेख्यकारी को शांती पुर्ण रूप से दखल कब्जा एवं स्वामित्व में चला आ रहा है। उपर्युक्त सम्पति पर लेख्यकारी किसी तरह का कोई मामला नहीं किया है। अर्थात हर हालत पाक वो साफ निखालिस दखल कब्जा में चला आता है।

Rajesh Ranjan Dubey 30.01.2019

वर्तमान में लेख्यकारी को रूपया का जरूरत वास्ते मकान बनाने हेतु एवं अपना लहाव में जमीन खरीदने हेतु है। जिसके लिए रूपयों का इंतजाम खास अपने जेब से होना सम्भव प्रतित नहीं हो रहा है। जो बिना जमीन बिक्री किये रूपये का प्रबंध होना खास अपने पास से सम्भ्व नहीं है। लेहाजा लेख्यकारी ने अपने स्तर से उपरोक्त वर्णित जमीन बिक्री करने की बातचीत आसपास के लोगों से किया वो इस बात का प्रचार प्रसार भी कराया सम्भावित कई खरिदार आये लेकिन अन्त में खाना संख्या दो वसिके हाजा के खरीदार आये वो उपरोक्त सम्पति को भलि–भाँति नीरिक्षण कर सभी सुविधाओं को देखते हुए मो0 13,20,000/रू0 (तेरह लाख बीस हजार रूपया) में सौदा को पक्का कर लिए जो आज के बजार भाव के मुताबिक उचित है। इससे ज्यादा जरसम्मन देने को कोई दूसरा खरिदार तैयार नहीं थे।

अतः मो0 13,20,000/रू0 (तेरह लाख बीस हजार रूपया) में मवाजी **04** डी0(चार डी0) जमीन. मौजा निमियाँ ,थाना व अंचल– मेदिनीनगर जिला पलामू का जमीन बेचा वो आज के रोज से उपरोक्त सम्पति के उपर खरीदार को सम्पुर्ण हक अधिकार दखल कब्जा वो स्वामित्व दे दिया । इस प्रकार उपरोक्त सम्पति के उपर आज तक जो भी हक अधिकार दखल कब्जा वो स्वामीत्व लेख्यकारी का था या भविष्य में प्राप्त होता सो सब के सब आज के रोज से ही लेख्यधारी को प्राप्त हो गया।

अब आज के रोज से खरीदार को चाहिए की उपरोक्त वर्णित सम्पति के उपर कायम वो काबिज दखिल होकर मकान बनावें , हाता दिलावे जिस तरह हो सके अपने उपरोक्त सम्पति से लाभ उठावे वो बजरीये अंचल कार्यालाय मेदिनीनगर में अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर झारखण्ड सरकार को साल व साल माल अदाकर लगान रशीद हासिल कर लिया करे इसमें लेख्यकारी तथा उनके वारिशान को कोई आपत्ति नहीं है ना भविष्य मे होगा।

Rajesh Ranjan Dubey
30.01.2019

लेख्यकारी जरसम्मन का कुल रूपये लेख्यधारी से रजिस्ट्री के पहले ही वसुल पा चुके है। अब लेख्यकारी को एक भी रूपया शेष पाना लेख्यधारी के पास नहीं रह गया। लेख्यकारी अपना तमाम नफा वो नुकसान खुद सोच समझकर बिना किसी के जोर दबाव में आये अपने तन व मन की पुर्ण स्वस्थता में खरिदार को केवाला बिक्रय पत्र हाजा लिख दिया कि समय पर काम आवे वो भविष्य में प्रमाण रहे वो सनद रहे।

आज दिनांक: 28.01.2019

टंकक:—रोहित श्रीवास्तव

Rajiv Ranjan Dubey
30.01.2019

दस्तावेज लिपिक,ला०नं०-18/2003
मेदिनीनगर,पलामू

Archana Dubey

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज जिनका फोटो लगा है के बांये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।

कातिब। ला०न० 18/2003 मोकाम मेदिनीनगर जिला पलामू केवाला का मजमून पढ़ कर दोनो पक्षों का सुना एवं समझा दिया। दिनांक 28.01. 2019

दि. 30/1/2019